



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 22 सितम्बर, 1983

आश्विन 31, 1905 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग--1

संख्या 2715/सत्रह-वि-1-1(क)-27-1982

लखनऊ, 22 सितम्बर, 1983

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1983 पर दिनांक 20 सितम्बर, 1983 ई० की अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1983 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनाय इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

**उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 1983**

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1983]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 का अग्रतर संशोधन करने और कतिपय कार्यों को विधिमान्य करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन और वैधीकरण) अधिनियम, 1983 कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा सिवाय धारा 3, 4 और 5 के जो 16 मार्च, 1983 को प्रवृत्त हुई समझी जायेंगी।

उत्तर प्रदेश ऐक्ट  
संख्या 15 सन्  
1948 की धारा  
28-क का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश विक्री-कर ऐक्ट, 1948 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 28-क में,--

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी और दिनांक 27 सितम्बर, 1979 से रखी गयी समझी जायगी, अर्थात्:--

“(1) कोई व्यक्ति (जिसे आगे इस धारा में आयातकर्ता कहा गया है), जो राज्य के बाहर के किसी स्थान से राज्य के भीतर, व्यापार के सम्बन्ध में, ऐसे परिमाण या माप में या मूल्य के इस अधिनियम के अधीन कर देय किसी माल को जो--

(क) (एक) खाद्यान्न, अनाज, दालों, सोयाबीन और उनके समस्त उत्पादों, और सभी कच्चे माल जिसके अन्तर्गत लीसा, बिरोजा और किसी प्रकार का तेल निकालने के लिये प्रयुक्त तिलहन भी हैं, की दशा में, बीस किलो ग्राम से अधिक हो, और

(दो) अन्य माल की दशा में पचास रुपये से अधिक का हो, या

(ख) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित परिमाण, माप या मूल्य से अधिक हो;

लाने, आयात करने या अन्यथा प्राप्त करने का इच्छुक हो, कर निर्धारक अधिकारी से, जिसकी अधिकारिता उस क्षेत्र पर हो जहां उस व्यक्ति के व्यापार का मुख्य स्थान स्थित है या यदि ऐसा कोई स्थान नहीं है तो जहां पर साधारणतया वह निवास करता है, निर्धारित शुल्क का भुगतान करके घोषणा का निर्धारित प्रपत्र प्राप्त करेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि आयातकर्ता व्यापार के सम्बन्ध से भिन्न प्रयोजनों के लिये ऐसे माल को लाना, आयात करना या अन्यथा प्राप्त करना चाहता है तो वह अपने विकल्प पर उसी प्रकार प्रमाण-पत्र का निर्धारित प्रपत्र प्राप्त कर सकता है।”

(ख) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी और दिनांक 27 सितम्बर, 1979 से बढ़ाई गयी समझी जायगी, अर्थात्--

“(4-क) यदि कोई व्यक्ति व्यापार के सम्बन्ध से भिन्न प्रयोजनों के लिये उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी माल को राज्य के बाहर के किसी स्थान से राज्य के भीतर लाने, आयात करने या अन्यथा प्राप्त करने का इच्छुक है और प्रमाण-पत्र का निर्धारित प्रपत्र प्राप्त करता है तो उपधारा (2), (3) और (4) के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे मानों उसमें प्रयुक्त शब्द “घोषणा-पत्र” के स्थान पर शब्द “प्रमाण-पत्र” रखा गया हो।”

धारा 28-ख का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 28-ख के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्--

“28-ख--जब राज्य के बाहर किसी स्थान से आने वाली और राज्य के बाहर किसी अन्य स्थान को जाने वाली और धारा 28-क की उपधारा (1) में राज्य से होकर निर्दिष्ट माल ले जाने वाली कोई गाड़ी राज्य से होकर गुजरे, तब सड़क से माल का ऐसी गाड़ी का ड्राइवर या अन्य प्रभारी व्यक्ति राज्य में अपने प्रवेश प्रेषण और पार-करने के पश्चात् पहली जांच चौकी या नाका के प्रभारी अधिकारी से गमन-पत्र का जारी पारगमन-पत्र निर्धारित रीति से प्राप्त करेगा और राज्य से अपने किया जाना वहिर्गमन के पूर्व अन्तिम जांच चौकी या नाका के प्रभारी अधिकारी को वही पारगमन-पत्र सौंप देगा और ऐसा न करने पर यह उपधारणा की जायगी कि उसके द्वारा ले जाया जाने वाला माल गाड़ी के स्वामी या प्रभारी व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर बेच दिया गया है:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसी गाड़ी से लाये गये माल का राज्य में प्रवेश करने के पश्चात् किसी अन्य गाड़ी या वाहन से राज्य के बाहर परिवहन कर दिया जाय, तब यह सिद्ध करने का भार कि माल वास्तव में राज्य के बाहर चला गया है, गाड़ी के स्वामी या प्रभारी व्यक्ति पर होगा।

स्पष्टीकरण:--ऐसे मामले में जहां किसी व्यक्ति के स्वामित्व की कोई गाड़ी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा माल के परिवहन के लिये भाड़े पर ली जाये, वहां गाड़ी के भाड़ेदार को इस धारा के प्रयोजनों के लिये गाड़ी का स्वामी समझा जायगा।”

4—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1974 द्वारा यथा प्रतिस्थापित उत्तर प्रदेश बिक्री-कर नियम, 1948 के अध्याय 14 में, धारा 28-क के अधिदेश को मूल अधिनियम की धारा 28-क का, जैसा कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, 1979 द्वारा प्रतिस्थापित और इस अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है, इस उपान्तर के साथ अधिदेश समझा जायगा कि नियम 83 के उप नियम (4) (क), नियम 85 के उप नियम (1), नियम 86 के उप नियम (1) और नियम 87-क के उप नियम (1) में आये हुए शब्द "के अधीन विज्ञापित" के पश्चात् शब्द "या उसमें निर्दिष्ट" को बढ़ाया गया समझा जायगा और नियम 83 के उप नियम (4) (क) में आये हुए शब्द "विज्ञापित में" के स्थान पर शब्द "उसमें" रखा गया समझा जायगा।

5—किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व मूल अधिनियम की धारा 28-क के अधीन अधिकारों के प्रयोग या तात्पर्यित प्रयोग में कृत कोई कार्य या कार्यवाही जो इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत है, विधिमान्य और विधिपूर्ण समझी जायगी और सदैव से विधिमान्य और विधि पूर्ण समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

6—(1) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन और वैधीकरण) अध्यादेश, 1983 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम या नियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

ब्रह्मा से,  
गंगा वरुण सिंह,  
सचिव।

No. 2715(2)/XVII-V-1—1(Ka)-27-1982

Dated Lucknow, September 22, 1983

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Bikri-Kar (Dwitiya Sanshodhan Aur Vaidhikaran) Adhiniyam, 1983 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 21 of 1983) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 20, 1983.

**THE UTTAR PRADESH SALES TAX (SECOND AMENDMENT AND VALIDATION) ACT, 1983**

[U. P. ACT No 21 OF 1983]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN  
ACT

further to amend the Uttar Pradesh Sales Tax Act, 1948 and to validate certain Acts

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-fourth Year of the Republic of India as follows :

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Sales Tax (Second Amendment and Validation) Act, 1983.

(2) It shall come into force at once except sections 3, 4 and 5 which shall be deemed to have come into force on March 16, 1983.

2. In section 28-A of the Uttar Pradesh Sales Tax Act, 1948 (hereinafter referred to as the principal Act),—

(a) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted and be deemed to have been substituted with effect from the twenty-seventh day of September, 1979, namely:—

“(1) Any person (hereinafter in this section referred to as the importer) who intends to bring, import or otherwise receive, into the State from any place without the State, any goods liable to tax under this Act in such quantity or measure or of such value as exceeds,—

(a) (i) twenty kilograms in the case of foodgrains, cereals, pulses, soyabean, and all products thereof, and all raw

Short title<sup>2</sup> and commencement.

Amendment of section 28-A of U.P. Act no. XV of 1948.

materials including resin, rosin and oil seeds used for extracting oils of any kind ; and

(ii) rupees fifty, in the case of other goods ; or

(b) the quantity, measure or value notified by the State Government in that behalf, in connection with business, shall obtain the prescribed form of declaration on payment of the prescribed fee from the assessing authority having jurisdiction over the area where his principal place of business is situated or, in case there is no such place, where he ordinarily resides :

Provided that where the importer intends to bring, import or otherwise receive such goods otherwise than in connection with business, he may, at his option, in the like manner obtain the prescribed form of certificate."

(b) after sub-section (4), the following sub-section shall be inserted and be deemed to have been inserted with effect from the twenty seventh day of September, 1979, namely :—

"(4-A) Where any person intends to bring, import or otherwise receive into the State from any place without the State any goods referred to in sub-section (1) otherwise than in connection with business and obtains the prescribed form of certificate, the provisions of sub-sections (2), (3) and (4) shall, *mutatis mutandis*, apply as if the word "certificate" were substituted for the word "declaration" used therein."

Amendment of section 28-B

3. For section 28-B of the principal Act, the following section shall be substituted, namely :—

"28-B. When a vehicle coming from any place outside the State and bound for any other place outside the State, and carrying goods referred to in sub-section (1) of section 28-A, passes through the State, the driver or other person incharge of such vehicle shall obtain in the prescribed manner a transit pass from the officer in-charge of the first check post or barrier after his entry into the State and deliver it to the officer in-charge of the last check post or barrier before his exit from the State, failing which it shall be presumed that the goods carried thereby have been sold within the State by the owner or person incharge of the vehicle :

Provided that where the goods carried by such vehicle are, after their entry into the State, transported outside the State by any other vehicle or conveyance, the onus of proving that goods have actually moved out of the State shall be on the owner or person in-charge of the vehicle.

*Explanation*—In a case where a vehicle owned by a person is hired for transportation of goods by some other person, the hirer of the vehicle shall, for the purposes of this section, be deemed to be the owner of the vehicle."

Amendment of rules.

4. In Chapter XIV of the Uttar Pradesh Sales Tax Rules, 1948 as substituted by the Uttar Pradesh Sales Tax (First Amendment) Rules, 1974, the references to section 28-A shall be deemed to be references to section 28-A of the principal Act as substituted by the Uttar Pradesh Sales Tax (Amendment) Act, 1979 and amended by this Act, with the modification that after the words "notified under" occurring in sub-rule (4)(a) of rule 83, sub-rule (1) of rule 85, sub-rule (1) of rule 86 and sub-rule (1) of rule 87-A, the words "or referred to in" shall be deemed to have been inserted, and for the words "in the notification" occurring in sub-rule (4)(a) of rule 83, the word "therein" shall be deemed to have been substituted.

Validation.

5. Notwithstanding any judgment, decree or order of any court, anything done or any action taken in the exercise or purported exercise of the powers under section 28-A of the principal Act before the commencement of this Act which is in conformity with the provisions of the principal Act as amended by this Act, shall be deemed to be and always to have been valid and lawful as if the provisions of this Act were in force at all material times.

P. Finance 19 of  
6. (1) The Uttar Pradesh Sales Tax (Second Amendment and Validation) (Second) Ordinance, 1983, is hereby repealed.

Repeal and saving.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act or the rules as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,

G. B. SINGH,  
*Sachiv.*